



उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकृत सं० - 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

शरद यादव
अध्यक्ष

उपशाखा-मधुबन, जनपद-मऊ
कार्यालय : तहसील-मधुबन, मऊ

चेतन चौहान
मंत्री

मो० : 7376600010

मो० : 9466357687

अखिलेश कुमार गोंड

(वरिष्ठ उपाध्यक्ष)

मो०-7651937565

नितेश कुमार मौर्य

(कनिष्ठ उपाध्यक्ष)

मो०-8765049862

सत्यम

(उप मंत्री)

मो०-7991730840

शंकर चौहान

(कोषाध्यक्ष)

मो०-8174904650

नीरज चौधरी

(आडिटर)

मो०-8707772671

पत्रांक...18.....

सेवा में,

दिनांक.6/5/26.....

श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय,

तहसील - मधुबन, जनपद - मऊ।

विषय: लेखपाल संघ के साथियों के निलंबन की वापसी, लंबित देयों के भुगतान एवं दमनकारी नीतियों के विरुद्ध कार्य बहिष्कार के संबंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि तहसील मधुबन का समस्त लेखपाल संघ अत्यंत क्षोभ और विवशता के साथ आपको अपनी समस्याओं एवं भविष्य की कार्ययोजना से अवगत करा रहा है। दिनांक 25.04.2026 को हमारे चार साथियों के निलंबन के उपरांत प्रशासन द्वारा दिए गए वहाली के आश्वासनों के बावजूद आज दिनांक 06.05.2026 तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ (इकाई-मधुबन) सर्वसम्मति से निम्नलिखित मांगें आपके समक्ष प्रस्तुत करता है:

मुख्य मांगें:

1. निलंबन की तत्काल वापसी: निलंबित लेखपाल साथियों— विजय यादव, रामसेवक चौहान, उमाशंकर यादव एवं धीरज सोनी की ससम्मान वहाली तत्काल प्रभाव से की जाए।
2. रोके गए वेतन का भुगतान: साथी धर्मेन्द्र कुमार, बलवंत कुमार, नरेंद्र दुवे एवं अभिषेक आनंद का माह अप्रैल का रोका गया वेतन अविलंब अवमुक्त किया जाए।
3. लंबित भत्तों का भुगतान: पिछले 3 वर्षों से लंबित अलाव भत्ते, ग्रॉप कटिंग, कृषि गणना एवं आय-जाति-निवास प्रमाण पत्रों के आवेदन (₹5 प्रति आवेदन) के बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान सुनिश्चित हो।
4. अतिरिक्त कार्यभार से मुक्ति: रिक्तियों के नाम पर लेखपालों पर थोपे गए अतिरिक्त हल्कों एवं पटलों के बोझ को समाप्त किया जाए।
5. प्रशासनिक सहयोग: हाई कोर्ट से संबंधित प्रकरणों (रिट/इंस्ट्रक्शन) के नाम पर हो रही अवैध बसूली एवं उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाई जाए।

6. कार्य बहिष्कार की घोषणा:

जब तक उपरोक्त मांगों का निराकरण नहीं होता, तब तक समस्त लेखपाल साथी निम्नलिखित निर्णय लेने को विवश हैं:

एक वेतन, एक हल्का: हम केवल अपने मूल आवंटित हल्के का ही कार्य करेंगे। अतिरिक्त पटल त्याग: समस्त अतिरिक्त प्रभारों का तत्काल प्रभाव से परित्याग किया जाता है। पूर्ण कार्य बहिष्कार: मांगों के पूरा होने तक संवर्ग पूर्णतः कार्य बहिष्कार पर रहेगा। इस दौरान होने वाली किसी भी प्रशासनिक अव्यवस्था या जनहानि की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं तहसील प्रशासन की होगी।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

समस्त लेखपाल साथी,

तहसील - मधुवन, जनपद - मऊ।

दिनांक: 06.05.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जनपद मऊ।

श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष/मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ।

श्रीमान खंड मंत्री महोदय, आजमगढ़।

श्रीमान जिलाध्यक्ष/जिलामंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, मऊ।